उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 27-7-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 2-8-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 9-9-1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 11-9-1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

कृषि भूमि तथा शहरी सम्पत्तियों के कतिपय अन्तरणों को, अस्थायी अवधि के दौरान, निर्बन्धित करने और तत्सम्बद्ध प्रयोजनों की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। (3) This Act shall expire on Dec 31, 1975—

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "कृषि-भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन, (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है) से संबंध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये हो और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि पर विद्यमान कोई भवन, वृक्ष, कुएं तथा अन्य समुन्नतियां भी हैं;

(ख) "शहरी सम्पत्ति" का तात्पर्य उन समस्त भूमि और भवनों से है जो किसी नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कन्टोनमेंट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किसी क्षेत्र में स्थित हों, किन्तु इसके अन्तर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग या ऐसे ही अन्य तत्सदृश कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ भूमि में लगाये गये या भवन में अन्तर्विष्ट कोई संयंत्र, मशीन या अन्य फिक्सचर नहीं है;

(ग) "बहुजन-धारित कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनीज ऐक्ट, 1956 में यथापरिभाषित कम्पनी (जो प्राइवेट कम्पनी न हो) से है, जिसके अंश सिक्यूरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1956, और तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूची-बद्ध हों।

अन्तरण पर निर्बन्धन

3—(1) दिनांक 12 जुलाई, 1972 से प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की अवधि के भीतर कोई व्यक्ति, उपधारा (3) और (4) में स्पष्टतया की गयी व्यवस्था के सिवाय, किसी शहरी सम्पत्ति या कृषि भूमि का अन्तरण नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) का उल्लंघन करके किया गया कोई अन्तरण शून्य होगा और तदनुसार किसी अधिकतम सीमा का, जो एतत्पश्चात् किसी विधि के अधीन आरोपित किया जाय, अवधारण करने के प्रयोजनार्थ उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं समझी जायगी—

(क) एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये शहरी सम्पत्ति के किसी पट्टे पर;

(ख) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 में व्यवस्थित मामलों में कृषि भूमि के किसी पट्टे पर;

(ग) उन सभी अन्तरणों पर जो निम्नलिखित द्वारा या उसके पक्ष में किया गया हो—

(1) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण;

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 27-7-1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

(2) कोई निगमित निकाय (जिसमें कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कम्पनी शामिल है) जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, या अंशतः केंद्रीय सरकार और अंशतः राज्य सरकार द्वारा, धृत हो ;

(3) विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् या विधि द्वारा स्थापित अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अन्य निगम ;

(4) कोई सहकारी समिति जिसकी अंश पूंजी में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से अंशदान किया हो अथवा जिसकी अंशपूंजी के निर्माण या वृद्धि में, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अध्याय 6 में व्यवस्थित रीति से उसने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की हो, अथवा उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत कोई शीर्ष समिति अथवा कोई सहकारी भूमि विकास बैंक ;

(5) कोई बहुजन धारित कम्पनी;

(6) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी, अथवा कोई सहकारी बैंक ।

(4) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायें, किसी शहरी सम्पत्ति अथवा कृषि भूमि को इस अधिनियम के उपबन्धों से अवमुक्त कर सकती है; और यदि ऐसी सम्पत्ति या भूमि का प्रयोग शैक्षिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक या व्यापारिक प्रयोजनों के लिये या अन्य उसी प्रकार के प्रयोजनों के लिये किया जाने वाला हो, तो उसके विक्रय या अन्य अन्तरण की अनुज्ञा दे सकती है ।

रजिस्ट्रीकरण पर निर्बन्धन

4—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धारा 3 द्वारा प्रतिषिद्ध किसी अन्तरण से सम्बद्ध किसी लेख्य का रजिस्ट्रीकरण नहीं करेगा ।

यह अधिनियम किसी अन्य विधि या संविदा पर अभिभावी होगा।

5—इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य विधि, या किसी संविदा अथवा अन्य संलेख में तत्संबंधी किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

निरसन तथा अपवाद।

6—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानों यह अधिनियम 12 जुलाई, 1972 को प्रवृत्त हो गया था ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—180 जनरल (लेग०)—1972 1,855 (मे०)।

[THE] UTTAR PRADESH CEILING ON PROPERTY (TEMPORARY RESTRICTIONS ON TRANSFER) ACT, 1972[1]

[U. P. ACT No. 36 OF 1972]

(As passed by the Uttar Pradesh Vidhan Mandal)

An Act to restrict, during a temporary period, certain transfers of agricultural land and urban properties and to provide for purposes connected therewith

It is hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :

Prefatory Note—Statement of Objects and Reasons.—With a view to giving effect to the policy of the State towards securing the directive principles specified in clauses (*b*) and (*c*) of Article 39 of the Constitution, the U. P. Urban Property (Ceiling) Bill, 1972, and the U. P. Imposition of Ceiling of Land Holdings (Amendment) Bill, 1972 were introduced in the Legislative Assembly on May 9, 1972. The passage of the two Bills and their enactment as law was likely to take some time. It was apprehended that in the meantime some persons might transfer their land and urban property in order to defeat the purpose of the Bills. It was accordingly considered necessary to have an enactment made immediately to prevent such transfers. As both Houses of the Legislature were not in session, the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Ordinance, 1972, was promulgated.

The Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Bill, 1972, is being introduced to replace the said Ordinance.

1. Short title and extent.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Act, 1972.

1. Received the assent of the President on September 9, 1972 and published in U. P. *Gazette*, Extra., dated 11th September, 1972, pp. 3-4.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires—

(*a*) "agricultural land" means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandry (which includes pisciculture and poultry farming), and includes any buildings, trees, wells and other improvements existing on such land;

(*b*) "urban property" means all lands and buildings situated in any area which is comprised within the jurisdiction of a Nagar Mahapalika, Municipal Board, Notified Area Committee, Town Area Committee or a Cantonment Board, but does not include any plant, machinery or other fixture affixed to the land or contained in a building for the purpose of trade, commerce, business, industry or such other similar activities;

(*c*) "widely held company" means a company (not being a private company) as defined in Companies Act, 1956, the shares of which are listed in a recognized stock exchange in India in accordance with the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the rules made thereunder.

3. **Restrictions on transfer.**—(1) During a period of three months from July 12, 1972, no person shall, save as expressly provided in sub-sections (3) and (4), transfer any urban property or agricultural land.

(2) Every transfer made in contravention of sub-section (1) shall be void and shall accordingly be ignored for purposes of determining any ceiling limit that may hereafter be imposed under any law.

(3) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to apply to—

(*a*) a lease of urban property for a term not exceeding one year;

(*b*) a lease of agricultural land in the cases provided for in Section 157 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950;

(*c*) any transfer by or in favour of—

(*i*) the Central Government, the State Government or any local authority;

(*ii*) any corporate body (including a company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956), in which not less than fifty-one per cent. of the paid up share capital is held by the Central Government, or the State Government, or partly by the Central Government and partly by the State Government;

(*iii*) any University established by law, the Uttar Pradesh State Electricity Board or any other corporation established by law or owned or controlled by the Central Government or the State Government;

(*iv*) a co-operative society to the share capital of which the State Government has subscribed directly or in the formation or augmentation of the share capital of which it has assisted indirectly as provided in Chapter VI of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, or any apex society within the meaning of that Act or any co-operative land development bank;

(*v*) any widely held company;

(*vi*) a banking company as defined in clause (*f*) of Section 2 of Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972, or a Co-operative Bank.

(4) The State Government may, by general or special order and for reasons to be recorded exempt any urban property or agricultural land from the provisions of this Act; and may allow sale or other transfer of such property or land, in case it is to be used for educational, scientific, industrial or commercial purposes or for similar other purposes.

4. Restriction on registration.—No document relating to any transfer prohibited by Section 3 shall be registered by any registering officer appointed under the Indian Registration Act, 1908.

5. Act to over-ride any other law or contract.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law or in any contract or other instrument.

6. Repeal and saving.—(1) The Uttar Pradesh Ceiling on Property (Temporary Restrictions on Transfer) Ordinance, 1972 (U. P. Ordinance No. 15 of 1972), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had come into force on July 12, 1972.